संख्या– 1052 / 52–2–2012–2(69) / 07टी.सी.–3

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक : 10 सितम्बर, 2012

विषयः–अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों / अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजना हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मौजूद कब्रिस्तानों पर असमाजिक तत्वों द्वारा किये जा रहे अवैध अतिकमण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने एवं कब्रिस्तानों पर होने वाले अतिकमण को रोकने एवं अतिकमण की समस्या के स्थायी निदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्थित कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है एवं इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–141 / 52–2–12–2(69) / 07टी.सी.–1, दिनांक 11 अप्रैल, 2012 निर्गत किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार की उक्त योजना के अन्तर्गत बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त योजना को निम्न दिशा–निर्देशों के अनुसार संचालित की जायः–

(1). प्रश्नगत योजना को "अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों / अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजना" नामित किया जाय। योजना के अन्तर्गत प्रदेश में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों यथा–मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदायों के कब्रिस्तानों / अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जावेगी।

(2). इस योजना का जिला स्तर पर कार्यान्वयन हेतु निम्नवत समिति गठित की जायः–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)	सदस्य
5	सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी अथवा नगर मजिस्ट्रेट	सदस्य
6	जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा नामित अल्पसंख्यक समुदाय के एक सम्भ्रान्त व्यक्ति।	सदस्य
7	संबंधित परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, उ0 प्र0 जल निगम।	सदस्य
8	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव

(3) योजना में अल्पसंख्यक समुदायों के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों को ही चयनित किया जाय, जो exclusively उन्हीं के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा हो। निजी कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों को चयनित न किया जाय।

(4) प्रत्येक जनपद की प्रत्येक तहसील में ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाले कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की तहसीलवार सूची, सम्बन्धित तहसीलदार की आख्या के आधार पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा तैयार करायी जायेगी। सूची के दो भाग होंगे। प्रथम भाग (सूची–अ) में ऐसे कब्रिस्तानों/अत्येष्टि स्थलों को दर्ज किया जायेगा जो अविवादित हैं तथा दूसरे भाग (सूची–ब) में ऐसे कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों को दर्ज किया जायेगा जिनके सम्बन्ध में कोई विवाद है। इसी प्रकार सम्बन्धित नगर मजिस्ट्रेट जनपद द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों /अन्त्येष्टि स्थलों को भी सम्बन्धित नगर निकाय की आख्या के परीक्षणोपरान्त सूची–अ में विवाद रहित तथा सूची–ब में विवादित कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों को सूचीबद्ध किया जायेगा। जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा पूरे जिले के लिये संकलित सूची 'अ' एवं सूची 'ब' तैयार की जायेगी। शासन द्वारा सूची 'अ' एवं सूची 'ब' का प्रारूप पृथक सें तैयार कर जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा जनपद में अल्पसंख्यक समुदायों के विवाद रहित एवं विवादित कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की सूचियां (सूची 'अ' व सूची 'ब') शासन को उपलब्ध करायी जायेंगी।

(6) सम्बन्धित जिलाधिकारी का दायित्व होगा कि वे जनपद के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सूची–ब में दर्ज विवादित कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों के विवादों को हल करने की कार्यवाही तत्परता से करें तथा 03 माह के भीतर इस कार्यवाही को पूर्ण करें।

(7) शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी के अनुपात में इस योजना को चलाने हेतु धनराशि का आवंटन किया जायेगा। यह धनराशि जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखी जायेगी तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिलाधिकारी के अनुमोदन से धनराशि व्यय करेंगे।

(8) इस योजना हेतु अगली धनराशि जो बाउण्ड्रीवाल बनाने के लिए मिलेगी, उसी समय खर्च की जायेगी, जब विवादित कब्रिस्तानों का विवाद अधिकतम समाप्त हो जाय।

(9) कब्रिस्तानों /अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि के चारों ओर चहारदीवारी का निर्माण किया जायेगा। जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये अपने विवेकानुसार तय करेगी कि पहले नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों के किन कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि के चारों ओर चहारदीवारी निर्मित की जाय। प्रत्येक चयनित कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल के चारों ओर चहारदीवारी निर्माण की मासिक प्रगति आख्या, निर्धारित प्रारूप पर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा, नियमित रूप से, शासन को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका प्रारूप पृथक से तैयार कर जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी के निर्माण हेतु, निर्माण एजेन्सी, "निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, (सी. एण्ड डी.एस.)"उ0प्र0 जल निगम होगी।

(11) उक्त निर्माण एजेन्सी से लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों/अनुमोदित शिड्यूल–ऑफ–रेट के आधार पर आगणन प्राप्त कर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने हेतु किश्तों में धन अवमुक्त कराने की जिम्मेदारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की होगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निर्माण की प्रगति आख्या प्राप्त कर जिलाधिकारी को अवगत कराते रहेंगे। साथ ही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जिला स्तरीय

कार्यान्वयन समिति के माध्यम से भी योजना का यथोचित अनुश्रवण सुनिश्चित करायेंगे। निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारियों/तहसीलदारों के माध्यम से निरीक्षण सुनिश्चित कराया जायेगा।

(12) अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के द्वारा नामित 'निर्माण एजेन्सी', निर्माण एवं परिकल्प सेवायें, उ0प्र0 जल निगम (सी0 एण्ड डी0एस0) से लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों एवं विशिष्टियों के आधार पर 'माडल एस्टीमेट/डिजाईन' बनवाकर तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के उपरान्त, जनपदों के जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।"

3. कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार जनपद में स्थित अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में शीर्ष प्राथमिकता पर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्या– 1052(1)/52–2–2012–2(69)/07टी.सी.–3 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. सर्वे कमिश्नर वक्फ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9. अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ।
10. प्रशासक, उत्तर प्रदेश शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ।
11. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2।
12. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–1, 2, 3, एवं 4।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

10/9/12

(लीना जौहरी)
सचिव।